नईदुनिया

संपादकीय

खैरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट

देश में विभिन्न चुनावों से पूर्व लगातार मुफ्त की योजनाओं के ऐलान पर कठोर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीति-नियंताओं से सवाल किया है कि कहीं हम परजीवियों का एक वर्ग तो नहीं बना रहे हैं? अदालत की चिंता की हकीकत पर मोहर लगाते हुए बुधवार को सी.आई.आई साऊथ ग्लोबल लिंकेज समिट में लार्सन एंड टुब्रो के चेयरमैन एस.एन. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि सरकारी मुफ्त स्कीमों के कारण निर्माण उद्योग में मजदूरों की कमी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेल्फेयर स्कीमों से आराम की उपलब्धता के कारण निर्माण से जुड़े श्रमिक काम करने से कतरा रहे हैं। यह भी कि दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में पलायन कर रहे हैं, लेकिन भारत में लोग काम के लिये दूसरे शहरों में जाने के लिये तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसलिए भी वाजिब है कि देश के अस्सी करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन, विभिन्न वर्गों को नगदी हस्तांतरण, बिजली-पानी की मुफ्त योजनाओं के कारण कई राज्यों की सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर किसी विकासशील देश के लिये यह उत्साहजनक स्थिति नहीं है। यह भी हकीकत है कि जब किसी व्यक्ति को सुविधाएं आसानी से और मुफ्त मिलने लगें तो वह आलसी हो जाता है। साथ ही विकास की मुख्यधारा से भी कट जाता है। दरअसल, कल्याणकारी योजनाओं का मकसद नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना होता है। लेकिन यदि लोग काहिली की राह चुनने लगें तो यह देश हित में कदापि नहीं कहा जा सकता। एक आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए कि सरकार अपने नागरिकों के लिये ऐसा कार्यशील वातावरण बनाये, जिससे देश के आर्थिक विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो। लेकिन दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में वोट पाने का शॉर्टकट मुफ्त की रेवड़ियां बांटना हो गया है। वहीं गरीबी उन्मूलन एक सुविधाजनक राजनीतिक हथियार बना है। जिसके चलते चुनाव से पहले मुफ्त की घोषणाएं राजनीतिक फैशन बन गया है।

नि:संदेह, सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी तार्किक है कि वोट के लालच में राजनीतिक दल परजीवियों का एक वर्ग तैयार कर रहे हैं। काम के बदले अनाज व अन्य सुविधाएं देना तो तार्किक है, लेकिन मुफ्त का राशन व नकदी देना उचित नहीं है। कोरोना संकट में रोजगार के साधन सिमटने की वजह से मुफ्त अनाज समय की जरूरत थी, लेकिन इस योजना को लगातार नहीं चलाया जाना चाहिए। आखिरकार मुफ्त योजनाओं का बोझ आयकरदाताओं पर ही पड़ता है। जरूरतमंद लोगों में आत्मविश्वास जगाकर उन्हें राष्ट्र के लिये योगदान हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। देश की अदालत बार-बार राजनेताओं से ऐसी घोषणाओं से परहेज करने को कहती रही है, लेकिन राजनीतिक दलों पर इसका कोई असर नजर नहीं आता। देश में मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाना बेरोजगारों के हित में एक सकारात्मक कदम था, लेकिन मुफ्त में राशन व नगदी देना लोगों को अकर्मण्य बनाने जैसा ही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनरेगा में लगातार कम होता पंजीकरण मुफ्त की योजनाओं का ही नकारात्मक प्रभाव हो। सरकारों को चाहिए कि रोजगार के नये-नये अवसर सृजित करें। मुफ्त देने के बजाय लोगों को स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनाये। देश की तरक्की और विकास की दृष्टि से मुफ्त की योजनाएं घातक ही कही जा सकती हैं। जाहिर बात है कि यदि घर बैठे सब-कुछ आराम से मिलने लगेगा तो श्रमिक काम की तलाश में घर से क्यों निकलेंगे। निस्संदेह, मुफ्त की योजनाएं देश के विकास के लिये एक प्रतिगामी कदम ही है। यह भारतीय लोकतंत्र के हित में भी नहीं है कि मतदाता लेन-देन के आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने लगें। कालांतर वे इसे अपना अधिकार समझने लगेंगे। फिर उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ने लगेंगी। फिर वे योग्य जनप्रतिनिधि का चयन करने के बजाय तात्कालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने लगेंगे। निश्चित रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिये यह शुभ संकेत नहीं है। दुनिया में इससे भारतीय लोकतंत्र की अच्छी छवि कदापि नहीं बनेगी। नीति-नियंताओं को ऐसी रोजगार बढ़ाने वाली योजनाओं को प्रश्रय देना होगा जो नागरिकों को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और कर्मशील बनायें।

महान साधक थे रामकृष्ण परमहंस

रमेश सर्राफ धमोरा

जयन्ती (18 फरवरी) पर विशेष

रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अत: ईश्वरकी प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वरतक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। 19 वीं शताब्दी में श्री रामकृष्ण परमहंस एक रहस्यमयी और महान योगी पुरुष थे। जिन्होंने काफी सरल शब्दों में अध्यात्मिक बातों को सामान्य लोगों के सामने रखा। जिस समय हिन्दू धर्म बड़े संकट में फंसा हुआ था उस समय श्री रामकृष्ण परमहंस ने हिन्दू धर्म में एक नयी उम्मीद जगाई।

रामकृष्ण के जीवन में अनेक गुरु आये पर अन्तिम गुरुओं का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। एक थी भैरवी जिन्होंने उन्हें अपने कापालिक तंत्र की साधना करायी और दूसरे थे श्री तोतापुरी उनके अन्तिम गुरु। गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में रहकर रामकृष्ण मां काली की पूजा किया करते थे। गंगा नदी के दूसरे किनारे रहने वाली भैरवी को अनुभूति हुई कि एक महान संस्कारी व्यक्ति रामकृष्ण को उसकी दीक्षा की आवश्यकता है। गंगा पार कर वो रामकृष्ण के पास आयी तथा उन्हें कापालिक दीक्षा लेने को कहा। रामकृष्ण ने भैरवी द्वारा बतायी पद्धति से लगातार साधना कर मात्र तीन दिनों में ही सम्पूर्ण क्रिया में निपुण हो गये।

रामकृष्ण के अन्तिम गुरु तोतापुरी थे जो सिद्ध तांत्रिक तथा हठ योगी थे। उन्होने रामकृष्ण को दीक्षा दी। रामकृष्ण को दीक्षा दी गई परमशिव के निराकार रुप के साथ पूर्ण संयोग की। पर आजीवन तो उन्होने मां काली की आराधना की थी। वे जब भी ध्यान करते तो मां काली उनके ध्यान में आ जाती और वे भावविभोर हो जाते। जिससे निराकार का ध्यान उनसे नहीं हो पाता था। तोतापुरी ध्यान सिद्ध योगी थे। उनको अनुभव हुआ कि रामकृष्ण के ध्यान में मां काली प्रतिष्ठित हैं। उन्होने शक्ति सम्पात के द्वारा रामकृष्ण को निराकार ध्यान में प्रतिष्ठित करने के लिये बगल में पड़े एक शीशे के टुकड़े को उठाया और उसका रामकृष्ण के आज्ञाचक्र पर आघात किया जिससे रामकृष्ण को अनुभव हुआ कि उनके ध्यान की मां काली चूर्ण-विचूर्ण हो गई हैं और वे निराकार परमशिव में पूरी तरह समाहित हो चुके हैं। वे समाधिस्थ हो गये। ये उनकी पहली समाधि थी जो तीन दिन चली। तोतापुरी ने रामकृष्ण की समाधी टूटने पर कहा। मैं पिछले 40 वर्षो से समाधि पर बैठा हूं पर इतनी लम्बी समाधी मुझे कभी नही लगी।

श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर नामक गांव में 18 फरवरी 1836 को एक निर्धन निष्ठावान ब्राहमण परिवार में हुआ था। इनके जन्म पर ही ज्योतिषियों ने रामकृष्ण के महान भविष्य की घोषणा कर दी थी। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुन इनकी माता चन्द्रा देवी तथा पिता खुदिराम अत्यन्त प्रसन्न हुए। इनको बचपन में गदाधर नाम से पुकारा जाता था। पांच वर्ष की उम्र में ही वो अदभुत प्रतिभा और स्मरणशक्ति का परिचय देने लगे। अपने पूर्वजों के नाम व देवी- देवताओं की स्तुतियां, रामायण, महाभारत की कथायें इन्हे कंठस्थ याद हो गई थी।

1843 में इनके पिता का देहांत हो गया तो परिवार का पूरा भार इनके बड़े भाई रामकुमार पर आ पड़ा था। रामकृष्ण जब नौ वर्ष के हुए इनके यज्ञोपवीत संस्कार का समय निकट आया। उस समय एक विचित्र घटना हुई। ब्राहमण परिवार की परम्परा थी कि नवदिक्षित को इस संस्कार के पश्चात अपने किसी सम्बंधी या किसी ब्राहमण से पहली शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। एक लुहारिन जिसने रामकृष्ण की जन्म से ही परिचर्या की थी। बहुत पहले ही उनसे प्रार्थना कर रखी थी कि वह अपनी पहली भिक्षा उसके पास से प्राप्त करे। लुहारिन के सच्चे प्रेम से प्रेरित हो बालक रामकृष्ण ने वचन दे दिया था। अत: यज्ञोपवीत के पश्चात घर वालों के लगातार विरोध के बावजूद इन्होंने ब्राहमण परिवार में प्रचलित प्रथा का उल्लंघन कर अपना वचन पूरा किया और अपनी पहली भिक्षा उस लुहारिन से प्राप्त की। यह घटना सामान्य नहीं थी। सत्य के प्रति प्रेम तथा इतनी कम उम्र में सामाजिक प्रथा के इस प्रकार उपर उठ जाना रामकृष्ण की आध्यात्मिक क्षमता और दूरदर्शिता को ही प्रकट करता है।

रामकृष्ण का मन पढ़ाई में न लगता देख इनके बड़े भाई इन्हे अपने साथ कलकत्ता ले आये और अपने पास दक्षिणेश्वर में रख लिया। यहां का शांत एवं सुरम्य वातावरण रामकृष्ण को अपने अनुकूल लगा।

1858 में इनका विवाह शारदा देवी नामक पांच वर्षीय कन्या के साथ सम्पन्न हुआ। जब शारदा देवी ने अपने अठारहवें वर्ष मे पदार्पण किया तब श्री रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के अपने कमरे में उनकी षोड़शी देवी के रूप में आराधना की। यही शारदा देवी रामकृष्ण संघ में माताजी के नाम से परिचित हैं।

रामकृष्ण परमहंस के पास जो कोई भी जाता वह उनकी सरलता, निश्चलता, भोलेपन और त्याग से इतना अभिभूत हो जाता कि अपना सारा पांडित्य भूलकर उनके पैरों पर गिर पड़ता था। गहन से गहन दार्शनिक सवालों के जवाब भी वे अपनी सरल भाषा में इस तरह देते कि सुनने वाला तत्काल ही उनका मुरीद हो जाता। इसलिए दुनियाभर की तमाम आधुनिक विद्या, विज्ञान और दर्शनशास्त्र पढ़े महान लोग भी जब दक्षिणेश्वर के इस निरक्षर परमहंस के पास आते तो अपनी सारी विद्वता भूलकर उसे अपना गुरू मान लेते थे। इनके प्रमुख शिष्यों में स्वामी विवेकानन्द, दुर्गाचरण नाग, स्वामी अद्भुतानंद, स्वामी ब्रह्मानंदन, स्वामी अद्यतानन्द, स्वामी शिवानन्द, स्वामी प्रेमानन्द, स्वामी योगानन्द थे। श्री रामकृष्ण के जीवन के अन्तिम वर्ष कारुण रस से भरे थे। 15 अगस्त 1886 को अपने भक्तों और स्नेहितों को दुख के सागर में डुबाकर वे इस लोक में महाप्रयाण कर गये।

रामकृष्ण परमहंस महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। रामकृष्ण का सारा जीवन अध्यात्म-साधना के प्रयोगों में बीता। वे लगातार कई घंटों तक समाधि में लीन हो जाते थे। चौबीस घंटे में बीस-बीस घंटों तक वे उनसे मिलनेवाले लोगों का दुख-दर्द सुनते और उसका समाधान भी बताते।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भोले प्रयोगवाद में वेदांत, इस्लाम और ईसाइयत सब एक रूप हो गए थे। निरक्षर और पागल तक कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन से दिखाया था कि धर्म किसी मंदिर, गिरजाघर, विचारधारा, ग्रंथ या पंथ का बंधक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस मुख्यत: आध्यात्मिक आंदोलन के प्रणेता थे। जिन्होंने देश में राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक पक्षपात को नकारती हैं।

विभिन्न धर्मों के माध्यम से रामकृष्ण के रहस्यमय अनुभवों ने उन्हें यह सिखाने के लिए प्रेरित किया कि विभिन्न धर्म पूर्ण ज्ञान और आनंद तक पहुँचने के अलग-अलग साधन हैं और विभिन्न धर्म पूर्ण सत्य की समग्रता को व्यक्त नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके पहलुओं को व्यक्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये उनके परम् शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने एक मई 1897 को बेलुड़ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन की स्थापना के केंद्र में वेदान्त दर्शन का प्रचार-प्रसार है। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य मानवता के सर्वांगीण कल्याण के लिए काम करना, विशेष रूप से गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए।

स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध : दुनिया भर में बहस

डॉ. आर.बी. चौधरी

अन्य देशों ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के झेंगझओए शहर में, माता-पिता को अपने बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति देनी होती है। इसके अलावा, कुछ देशों ने गोपनीयता की चिंताओं के कारण शैक्षिक सेटिंग्स से विशिष्ट अनुप्रयोगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध एक वैश्विक बहस का विषय बन गया है। जबकि कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, अन्य देशों ने इसके उपयोग को कानूनी दायरे में लाने का फैसला किया है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (जेम) टीम के अनुसार, कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो बच्चों के शिक्षा और गोपनीयता पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।

फ्रांस में वर्ष 2018 में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक प्रदर्शन पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करता था। इसी तरह, कुछ ऑस्ट्रेलियाई और ब्रिटिश स्कूलों ने भी स्कूल घंटों के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो विचलित होने और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं।

अन्य देशों ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के झेंगझओए शहर में, माता-पिता को अपने बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति देनी होती है। इसके अलावा, कुछ देशों ने गोपनीयता की चिंताओं के कारण शैक्षिक सेटिंग्स से विशिष्ट अनुप्रयोगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क और फ्रांस ने दोनों ने गूगल वर्कस्पेस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि जर्मनी के कुछ राज्यों ने माइक्रोसॉफ्ट उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसके विपरीत, कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने का फैसला किया है, इसके बजाय प्रतिबंध लगाने के। यह दृष्टिकोण शैक्षिक सेटिंग्स में स्मार्टफोन के संभावित लाभों को स्वीकार करता है, जैसे कि ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच और छात्रों और शिक्षकों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने की क्षमता। भारत में, उदाहरण के लिए, सरकार ने स्कूलों में स्मार्टफोन के जिम्मेदार उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो शिक्षकों को इन उपकरणों को शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले तरीके से अपने शिक्षण प्रथाओं में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सिंगापुर ने भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिनमें मोबाइल डिवाइस प्रबंधन सॉफ्टवेयर का उपयोग शामिल है ताकि स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी और नियंत्रण किया जा सके। इसी तरह, कुछ कनाडाई स्कूलों ने स्कूल घंटों के दौरान स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए नीतियां लागू की हैं, जिनमें निर्दिष्ट टेक-फ्री क्षेत्रों का उपयोग शामिल है। स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या इसके उपयोग को विनियमित करने का निर्णय शैक्षिक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं सहित विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसके बजाय एक समग्र प्रतिबंध लगाने के बजाय, स्कूलों और सरकारों को एक संतुलन खोजने का प्रयास करना चाहिए जो छात्रों को स्मार्टफोन के लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देता है जबकि जोखिमों को कम करता है।

स्पष्ट नीतियों को लागू करके, छात्रों और शिक्षकों को शिक्षित करके, और स्मार्टफोन के उपयोग पर निगरानी करके, स्कूल स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने में मदद कर सकते हैं जो शिक्षा, सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, स्कूल स्मार्टफोन की लत और संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि और आउटडोर प्ले को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत सरकार ने स्कूली छात्रों में स्मार्टफोन की लत के मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में से एक स्कूलों में जिम्मेदार स्मार्टफोन उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी करना है। ये दिशानिर्देश शिक्षकों को अपने शिक्षण प्रथाओं में स्मार्टफोन को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं।

स्मार्टफोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए, कुछ भारतीय स्कूलों ने परिसर के आसपास मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य लोग दिन के विशिष्ट समय या स्कूल के क्षेत्रों में फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की सिफारिश करते हैं। यह दृष्टिकोण विचलित होने को कम करता है और एक स्वस्थ शिक्षा वातावरण को बढ़ावा देता है।

स्मार्टफोन की लत बच्चों पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिनमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी, साइबर बुलिंग का खतरा बढ़ना और शारीरिक गतिविधि में कमी शामिल है। इसके अलावा, अत्यधिक स्मार्टफोन के उपयोग को कई नकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ा गया है, जिनमें चिंता, अवसाद और अकेलापन शामिल हैं। इन जोखिमों को कम करने के लिए, स्कूल और माता-पिता कई कदम उठा सकते हैं, जिनमें स्मार्टफोन के उपयोग पर सीमाएं निर्धारित करना, शारीरिक गतिविधि और आउटडोर प्ले को प्रोत्साहित करना और डिजिटल साक्षरता और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर बहस जटिल और बहुआयामी है। जबकि कुछ देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, अन्य देशों ने इसके उपयोग को विनियमित करने का फैसला किया है। स्मार्टफोन के लाभों का लाभ उठाने की अनुमति देते हुए छात्रों को जोखिमों को कम करने के लिए एक संतुलन खोजने से, स्कूल और सरकारें छात्रों के लिए एक स्वस्थ और समर्थनकारी शिक्षा वातावरण बनाने में मदद कर सकती हैं। अंतत:, स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या इसके उपयोग को विनियमित करने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें शैक्षिक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं और चिंताओं शामिल हैं। स्कूल, सरकारें और माता-पिता मिलकर काम करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि छात्र स्मार्टफोन का उपयोग शिक्षा, सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने वाले तरीके से करते हैं।

आजकल

मणिपुर में देर से उठाया कदम

भले ही न टाली जा सकने वाली विषम परिस्थितियों के चलते हुआ हो, मणिपुर के विवादित मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली की ऐतिहासिक चुनावी जीत का मजा किरकिरा न होने देने के इरादे से उनका इस्तीफा दिलवाना बेहतर विकल्प समझा। इस हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा के कारण हुई मौतों और विस्थापन पर सार्वजनिक माफी मांगकर खेद जताने के एक माह से कुछ अधिक समय बाद बीरेन सिंह ने आखिरकार अपना पद छोड़ ही दिया।

दरअसल, उनका यह अस्त्र काम नहीं आया। विडंबना यह है कि उनकी कथित बातचीत का एक ऑडियो टेप कुछ समय पहले लीक हुआ है। जिसमें टेलीफोन पर हुई वह बातचीत रिकॉर्ड हुई बतायी जाती है, जिसमें जातीय हिंसा भड़काने में उनकी भूमिका उजागर होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सत्यता प्रमाणित करने के लिये इस टेप को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है। शीर्ष अदालत ने सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। लगता है कि मणिपुर में विपक्षी दलों द्वारा बीरेन सिंह को हटाने की मुहिम में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के शामिल होने की आशंका को भांपते हुए बीरेन सिंह को इस्तीफा देने को कहा गया है। उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता के मद्देनजर इस्तीफे को बचने के एक रास्ते के तौर पर देखा गया है। बहरहाल, राज्य सरकार व पार्टी की छवि को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है और यह इस्तीफा बहुत देर से आया है। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुई जातीय हिंसा में करीब ढाई सौ लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। लेकिन राज्य सरकार स्थिति को संभालने में विफल रही है। विडंबना यह है कि व्यापक हिंसा व आगजनी के बाद बीरेन को पद से हटाने की मांग को नजरअंदाज किया जाता रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी सवालों के घेरे में लेता रहा है।

बहरहाल, अब सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री बदलने से क्या जमीनी हकीकत में बदलाव आ सकेगा? नया नेतृत्व क्या वह इच्छाशक्ति दिखा पाएगा जिससे मैती व कुकी समुदायों के बीच गहरी हुई खाई को पाटा जा सकेगा? नि:संदेह, मणिपुर के लोग न्याय व शांति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों का भरोसा जीतना केंद्र सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। ताकि राज्य में शांति व सद्भाव कायम हो सके।

रोजगारपरक शिक्षा से रुकेगा युवाओं का पलायन

सुरेश सेठ

भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की आधी आबादी 18 से 35 वर्ष की युवा पीढ़ी वाली है, जो कर्मशील है। लेकिन विडंबना यह है कि इस पीढ़ी को रोजगार की सही गारंटी देने की बजाय, उन्हें केवल बेरोजगारी से जूझने की गारंटी दी जाती है। देश में शॉर्टकट संस्कृति और अनुकंपाओं का बोलबाला है। एक ओर विकास दर के बढ़ने के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं और कहा जाता है कि हम सबसे तेज आर्थिक विकास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों के पास पर्याप्त रोजगार नहीं है। उनकी उम्मीदें टूट रही हैं।

शिक्षा की डिग्रियां अब कृत्रिम मेधा और डिजिटल दुनिया से असंबद्ध होती जा रही हैं। आज का युवा खुद को देश की मुख्यधारा से अलग महसूस करता है। हम एक समानतावादी समाज बनाने का संकल्प लेकर चले थे, लेकिन असमानताएं बढ़ती चली गईं। देश की 90 प्रतिशत संपत्ति मुट्ठीभर लोगों के हाथों में सिमट गई है। यह स्थिति पहले भी सच थी और आज भी वही सच है। शायद जब हम आजादी के शतकीय महोत्सव पर खुद को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे, तब भी यही सच रहेगा। एक ऐसा राष्ट्र, जहां 80 करोड़ से अधिक लोग रियायती अनाज पर निर्भर हैं। ऐसे में सपनों और उम्मीदों से भरा नौजवान अपने देश में अपने भविष्य को खो चुका महसूस करता है। उसे विदेश जाने के सपने ललचाने लगते हैं और वह किसी भी तरीके से, वैध या अवैध, विदेश जाने को तैयार हो जाता है। अमेरिका उनका सबसे आकर्षक गंतव्य बन जाता है।

वहां की आय भारतीय मुद्रा में लाखों रुपये बन जाती है, जिससे वह कम से कम वेतन पाकर भी समृद्ध जीवन जीने की उम्मीद करता है। ऐसे में, गांवों में खाली पड़े घर और बुजुर्गों के लिए बनी हवेलियां बस अकेलेपन और असमर्थता का प्रतीक बन जाती हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अवैध प्रवासी भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकालने का अभियान शुरू किया, जिसके तहत बिना वैध कागजात वाले भारतीय नागरिकों को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। ट्रम्प का नारा 'अमेरिका अमेरिकियों के लिए' अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है।

इमिग्रेशन एजेंटों द्वारा दिखाए गए झूठे सपने अब टूट रहे हैं, क्योंकि इन एजेंटों ने फर्जी अकादमियों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से युवाओं को विदेश भेजने का झांसा दिया था। यह पीढ़ी अपने सपनों से निर्वासित होकर एक भटकाव की स्थिति में है। इन युवाओं के भविष्य का निर्धारण केवल भारत में होना चाहिए, जहां उन्हें सही दिशा और अवसर मिले। पंजाब में अवैध इमिग्रेशन एजेंटों की संख्या भयावह है। यहां पंजीकृत एजेंटों की संख्या महज 212 है, जबकि अधिकांश एजेंट अवैध रूप से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद, ट्रैवल एजेंट नए तरीके से युवाओं को विदेश भेजने का झांसा देते हैं, जो उन्हें अवैध रास्तों से, जैसे जंगलों में भटकने, पैदल चलने और लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद सही मंजिल तक नहीं पहुंचने देते।

अब अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है, जिसके तहत जो लोग बिना कागजात के अमेरिका में प्रवेश करेंगे, उन्हें निकाल बाहर किया जाएगा। यह समस्या केवल युवाओं के लिए नहीं, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गंभीर है, जो अपने बच्चों को विदेश भेजने के लिए मजबूर होते हैं। क्या भारत को अपनी युवा पीढ़ी के लिए रियायतें मांगने की आवश्यकता हो गई है? यह एक गंभीर सवाल है। मोदी और ट्रम्प की मैत्री को देखते उम्मीद की जा सकती है कि इन युवाओं को थोड़ी राहत मिल सकेगी। हालांकि, अमेरिका का अपना स्वार्थ भी है।